भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *395
19.07.2019 को उत्तर के लिए

गिद्धों की संख्या में कमी

***395. श्री बिद्युत बरन महतो:**
श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गिद्धों की प्रजातियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश के अनेक भागों में गिद्धों की कतिपय प्रजातियों की संख्या में 90 प्रतिशत से अधिक कमी आई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से कोई गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला गया है जो देश में इसके संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत केंद्रीय वित्तीय सहायता कितनी है; और
(ङ) सरकार द्वारा गिद्धों की प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क),(ख),(ग),(घ) और (ड.)	एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

****

'गिद्धों की संख्या में कमी' के संबंध में श्री बिद्युत बरन महतो एवं श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा दिनांक 19.07.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *395 के भाग (क), (ख), (ग), (घ) और (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख)	वर्ष 1990 से बंबई प्राकृतिक विज्ञान सोसाइटी (बीएनएचएस) द्वारा प्रत्येक चार वर्ष की अवधि पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा विभिन्न राज्यों के वन विभागों द्वारा प्रायोजित राष्ट्र-व्यापी गिद्ध सर्वेक्षण कराए जाते हैं। ये सर्वेक्षण मुख्य रूप से गंभीर रूप से संकटापन्न स्थानिक जिप्स गिद्धों, सफेद पीठ वाले गिद्धों, लंबी चोंच वाले गिद्धों और पतली चोंच वाले गिद्धों की तीन प्रजातियों के लिए कराए जाते हैं। वर्ष 1980 के आरंभिक दशक में, देश में ये तीन प्रजातियों की मौजूदगी अत्यंत सामान्य थी जिनकी अनुमानित संख्या 40 मिलियन थी। वर्ष 2015 में कराए गए नवीनतम सर्वेक्षण और वर्ष 2017 में प्रकाशित उसके परिणामों के आधार पर, लगभग 6000 सफेद पीठ वाले गिद्ध, 12000 लंबी चोंच वाले गिद्ध तथा 1000 पतली चोंच वाले गिद्ध पाए गए थे। गिद्धों की संख्या में भारी कमी आई है। वर्ष 1990 के दशक के मध्य में पहली बार उनकी संख्या में कमी देखी गई थी, और वर्ष 2007 तक गिद्धों की तीन स्थानिक जिप्स प्रजातियों के संख्या में 99% की कमी देखी गई थी। वर्ष 2011 तक, यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम रह गई थी, फिर भी यह प्रतीत हुआ था कि प्रजनन से उनकी संख्या सुदृढ़ हो रही है, किंतु वर्ष 2015 के दौरान, यह देखा गया कि सफेद पीठ वाले गिद्धों की संख्या अभी भी स्थिर थी किंतु लंबी चोंच वाले गिद्धों की संख्या में अभी भी कमी हो रही थी। यह पाया गया था कि गिद्धों की मौत का प्रमुख कारण दर्द और सूजन के उपचार के लिए पशुओं को दी गई गैर-स्टीरॉयड संबंधी शोथ-रोधी औषध 'डाइक्लोफेनैक' थी। 'डाइक्लोफेनैक' को गिद्धों के लिए अत्यंत विषाक्त पाया गया जिसके कारण गिद्धों के गुर्दे की कार्य प्रणाली बंद हो गई थी। भारत सरकार ने वर्ष 2006 में इस औषध के पशु-चिकित्सीय प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया था जिस आशय की अधिसूचना वर्ष 2008 में राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, किंतु पशुओं के उपचार में इस औषध के मनुष्यों के उपचार के लिए निर्मित अनेक खुराक वाली शीशियों के दुरूपयोग से अभी भी गिद्धों की मौत हो रही थी। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में एक प्रतिबंध लगाया और निदेश दिया कि मनुष्यों के उपचार के लिए 'डाइक्लोफेनैक' की पूर्व में प्रयुक्त 30 मि.ली. वाली शीशियों के बदले केवल 3 मि.ली. वाली शीशियों का प्रयोग किया जा सकता है।
(ग) और (घ)	पर्यावास से बाहर गिद्धों के संरक्षण के लिए, देश के विभिन्न राज्यों में आठ (08) गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र स्थापित किए गए थे। इन केन्द्रों में से चार केन्द्रों, हरियाणा में पिंजौर (वर्ष 2004 में स्थापित), पश्चिम बंगाल में राजाभटखावा (वर्ष 2006 में स्थापित), असम में रानी (वर्ष 2009 में स्थापित) और भोपाल के निकट केरवा (वर्ष 2008 में स्थापित) का प्रबंधन बंबई प्राकृतिक विज्ञान सोसाइटी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से संबंधित राज्य वन विभागों द्वारा किया जाता है। चार और केन्द्र अर्थात् गुजरात में जूनागढ़ (वर्ष 2006 में स्थापित), ओडिशा में नंदनकानन (वर्ष 2006 में स्थापित) ,तेलंगाना में हैदराबाद (वर्ष 2006 में स्थापित) और रांची में मुटा राज्य-चिड़ियाघरों में स्थापित हैं और उनका संचालन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजैडए) के सहयोग से तथा बंबई प्राकृतिक विज्ञान सोसाइटी के तकनीकी सहयोग से राज्य वन विभागों द्वारा किया जाता है। मंत्रालय द्वारा केन्द्र-प्रायोजित योजना-वन्यजीव पर्यावासों के विकास के तहत ''गंभीर रूप से

	संकटापन्न प्रजातियों और पर्यावासों को बचाने के लिए बहाली कार्यक्रम'' घटक के अंतर्गत गिद्धों के लिए बहाली कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों को गिद्धों के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। गिद्धों के संरक्षण के लिए जारी की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है: **(लाख रू. में राशि)**

क्र.सं.	**राज्य**	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2017-18**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**चालू वित्तीय वर्ष 2019-20**
i.	पंजाब	-	-	-	-
ii.	हरियाणा	116.0472	181.4448	122.304	-
iii.	केरल	16.58	21.792	25.498	-
iv.	पश्चिम बंगाल	-	79.44	110.04	-
v.	उत्तराखंड	-	580.23	-	-

मंत्रालय द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), उत्तर प्रदेश को ''भारत में पशु चिकित्सा के लिए प्रयोग में गैर-स्टीरॉयड संबंधी शोथ-रोधी औषधों (एनएसएआईडी) से गिद्धों (जिप्स प्रजातियों) की सुरक्षा का आकलन करना'' शीर्षक से एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत 3 वर्षों की अवधि के लिए कुल परियोजना लागत 2.71 करोड़ रू. है। इस परियोजना को आईवीआरआई द्वारा बंबई प्राकृतिक विज्ञान सोसाइटी (बीएनएचएस) के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आईवीआरआई को किस्त के रूप में 30.00 लाख रू. की राशि जारी की गई है।

(ड.) सरकार द्वारा देश में गिद्धों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. सफेद पीठ वाले गिद्धों, लंबी चोंच वाले गिद्धों और पतली चोंच वाले गिद्धों की संरक्षण स्थिति को उन्नत करके वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV से हटाकर अनुसूची I में रखा गया है।

ii. देश में गिद्धों की शेष संख्या को संरक्षित करने के साथ-साथ उन्हें गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्रों (वीसीबीसी) से हटाकर फिर से वन में छोड देने के कार्य में सुविधा प्रदान करने हेतु, उन क्षेत्रों में जहां गिद्धों की संख्या पाई गई है, गिद्ध सुरक्षित क्षेत्रों के सृजन के प्रयास किए जा रहे हैं। वीसीबीसी के चारों ओर 100 कि.मी. के अंदर आने वाले क्षेत्र को सामुदायिक भागीदारी से यह सुनिश्चित करते हुए सुरक्षित बनाया गया है कि उस क्षेत्र में गिद्धों के लिए विषाक्त पशु-चिकित्सीय एनएसएआईडी का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां उनके लिए पर्याप्त आहार और पर्यावास उपलब्ध है तथा गिद्धों के लिए कोई अन्य खतरा नहीं है। यह कार्य लक्षित प्रचार-प्रसार और जागरूकता सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है।

iii. देश में आठ (08) अभिज्ञात गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र हैं जिनमें हरियाणा में पिंजौर, पश्चिम बंगाल में राजाभटखावा, असम में माजुली द्वीप के आस-पास, बुंदेलखंड में बुक्सवाहा, मध्य प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और उत्तर प्रदेश में कतरनिया-घाट वन्यजीव अभयारण्य, झारखंड में हजारीबाग और गुजरात में मध्य गुजरात एवं सौराष्ट्र शामिल हैं।

iv. मंत्रालय द्वारा देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए जन-शिक्षा एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों को सुदृढ करने की पहले भी की गई हैं।

v. भारत सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के संबंध में एक राष्ट्रीय कार्य योजना (2006) तैयार की है। इस कार्य योजना में पर्यावास के अंदर और उसके बाहर गिद्धों के संरक्षण के माध्यम से गिद्धों की संख्या में होने वाली कमी को नियंत्रित करने हेतु कार्यनीतियों एवं कार्यकलापों का प्रावधान किया गया है।

vi. भारत सरकार ने पशु चिकित्सा में 'डाइक्लोफेनैक' के प्रयोग को प्रतिबंधित किया है जिसे गिद्धों

		की मौत और उनकी संख्या में कमी के कारण के रूप में पाया गया था।
	viii.	भारत सरकार ने जुलाई 2015 में मनुष्यों के उपचार के लिए डाइक्लोफेनैक औषध की पैकेजिंग को 3 मि.ली. तक सीमित कर दिया है, जिसका उद्देश्य पशुओं के उपचार में 3 मि.ली. मात्रा में उपलब्ध अनेक खुराक वाली शीशियों के दुरूपयोग को रोकना है।
	iii.	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के वन विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे कार्ययोजना, 2006 को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से गिद्धों के संरक्षण के लिए तथा मौजूदा गिद्ध पर्यावासों की बहाली के लिए एक निगरानी समिति गठित करें।
	ix.	मंत्रालय द्वारा गिद्धों की संख्या को बढ़ाने का कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसके भाग के रूप में, वर्ष 2016 में गिद्ध प्रजनन केन्द्र, पिंजौर, हरियाणा से दो हिमालयी ग्रिफन गिद्धों को उन्मुक्त किया गया था।
	x.	मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर गिद्धों के संरक्षण और उनकी बहाली के प्रयासों की निगरानी और मार्गदर्शन के लिए ''राष्ट्रीय गिद्ध बहाली समिति का पुनर्गठन किया गया है।
	xi.	गिद्धों (जिप्स प्रजातियों) पर ''गैर-स्टीरॉयड संबंधी शोथ-रोधी औषध'' (एनएसएआईडी) का परीक्षण भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), उत्तर प्रदेश द्वारा इस मंत्रालय और बीएनएचएस के सहयोग से किया जाता है।

****